

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 151 / 2009 / जयपुर.

मैसर्स केस्ट्रोल इण्डिया लिमिटेड, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित ::

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04 / 01 / 2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 33/आर.एस.टी./00-01/ई में पारित किये गये आदेश दिनांक 26.11.2008 के विरुद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 85 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार हैं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, उदयपुर (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 28.06.2000 को वाहन संख्या जी.जे./9 वाय-5172 को चैक किये जाने पर वाहन में लुब्रिकेटिंग ऑयल सिल्वासा से जयपुर के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। परिवहनित माल से सम्बन्धित जी.आर. संख्या 1908 दिनांक 27.6.2000; बिल कम गेटपास संख्या 3575 दिनांक 27.6.2000 एवं घोषणा-पत्र एस.टी.18ए संख्या 58812/25 प्रस्तुत किये गये। घोषणा-पत्र एस.टी.18ए पूर्ण रूप से खाली प्रस्तुत किया गया। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा माल परिवहन में अधिनियम की धारा 78(2) के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना मानते हुए अधिनियम की धारा 78(5) के तहत के तहत शास्ति रूपये 1,72,051/- का आरोपण आदेश दिनांक 04.07.2000 से किया गया। अपीलार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 16.09.2004 से स्वीकार किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध राजस्व द्वारा राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील राजस्थान कर बोर्ड के आदेश दिनांक 16.12.2005 से अस्वीकार की गयी। राजस्थान कर बोर्ड के उक्त आदेश के विरुद्ध राजस्व द्वारा माननीय

८८५१

लगातार.....2

राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी सिविल रिवीजन संख्या 342 / 2006 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के मैसर्स देव ट्रेडिंग कम्पनी के प्रकरण में पारित किये गये आदेश दिनांक 5.9.2007 में दिये गये निर्देशानुसार पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रतिप्रेषण निर्देशों की पालना में अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2008 पारित करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की गयी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि वक्त जांच परिवहनित माल के साथ माल से सम्बन्धित वांछित सभी दस्तावेज उपलब्ध थे। लिपिकीय भूल से घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए रिक्त संलग्न कर दिया गया, जिसमें उसका किसी प्रकार का करापवंचन का मनोभाव नहीं था। स्टॉक ट्रांसफर के तहत 'एफ' फॉर्म के समर्थन से माल मंगाया गया था। लेखा-पुस्तकों में समस्त इंद्राज किये हुए थे। आलौच्य अवधि का केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए विवादित संव्यवहार को समायोजित किया गया है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा माल परिवहन में अधिनियम की धारा 78(2) के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना मानते हुए अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपित किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी के अविधिक आदेश की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4. बहस के दौरान विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि वक्त चैकिंग रिक्त घोषणा प्रपत्र के साथ विवादित माल परिवहनित किया जाना स्पष्टतः अधिनियम की धारा 78(2)(ए) सपठित नियम 53 के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 का हवाला देते हुए कथन किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया गया है कि वक्त परिवहन घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए अपूर्ण अथवा रिक्त होने पर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपणीय है।

लगातार.....3


अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के आलोक में सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध शास्ति आरोपित किये जाने एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश की पुष्टि किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में उक्त चैकिंग वाहन में अधिसूचित श्रेणी का माल परिवहनित किया जा रहा था तथा माल के साथ उपलब्ध घोषणा प्रपत्र एस.टी. 18ए पूर्णतया रिक्त पाया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार रिक्त/अपूर्ण घोषणा प्रपत्र के समर्थन से विवादित माल का परिवहन अधिनियम की धारा 78(2)(ए) सपष्टित नियम 53 के विधिक प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है तथा अपीलार्थी के इस कृत्य के लिये उसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपित करने सम्बन्धी सक्षम अधिकारी का आदेश पूर्णतया विधिसम्मत एवं न्यायोचित है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी के अधिनियम की धारा 78(5) के तहत आरोपित शास्ति की पुष्टि किये जाने में किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं की गई है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है तथा सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों की पुष्टि की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।


04.01.2016
(मनोहर पुरी)
सदस्य